

केरल में अपतटीय रेत खनन

प्रलिस के लयः

[भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय परादेशिक जल, वशिषिट आर्थिक क्षेत्र, वलिवणीकरण, खनजि तेल, सतत विकास लक्ष्य](#)

मेन्स के लयः

रेत खनन, अपतटीय खनजि वनियमन, तटीय पारस्थितिकी तंत्र पर खनन का प्रभाव

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

चर्चा में क्यों?

राज्य सरकार और स्थानीय समुदायों ने पर्यावरण और आजीविका पर पड़ने वाले प्रभावों की चिंता के कारण [अपतटीय क्षेत्र खनजि \(विकास और वनियमन\) संशोधन अधिनियम, 2023](#) (OAMDR संशोधन अधिनियम) के तहत केरल के तट पर अपतटीय रेत खनन शुरू करने की केंद्र सरकार की योजना का कड़ा वरिध कया है।

सरकार अपतटीय रेत खनन पर क्यों ज़ोर दे रही है?

- **आर्थिक संभावना:** नरिमाण रेत के अपतटीय खनन की अनुमतदिने का केंद्र का नरिणय [भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण \(GSI\)](#) के एक अध्ययन पर आधारति है।
 - वर्ष 1985 से GSI सर्वेक्षणों ने पोन्नानी, चावककड, कोच्चि, अलपुझा और कोल्लम के तट पर 22 से 45 मीटर की गहराई पर कंस्ट्रक्शन-ग्रेड रेत संसाधनों की पहचान की है।
 - ये भंडार [भारतीय जलक्षेत्र](#) (12 समुद्री मील तक) और [अननय आर्थिक क्षेत्र \(EEZ\)](#) में स्थति हैं, जनिमें 4%-20% मट्टी की सांद्रता और 80%- 96% शुद्ध रेत है।
 - यह रेत मूलतः नदियों से प्राप्त की जाती है, तथा समुद्री प्रक्रियाओं से गुजरने और [वलिवणीकरण](#) के बाद नरिमाण हेतु उपयुक्त हो जाती है।
 - प्रतिवर्ष 30 मिलियन मीटरकि टन की दर से, ये रेत भंडार, जनिमें अनुमानति 750 मिलियन टन का भंडार है, अगले 25 वर्षों तक केरल की नरिमाण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।
- **नीलामी योजना:** केंद्र ने OAMDR संशोधन अधिनियम, 2023 के तहत केरल के तटीय क्षेत्रों के पाँच सेक्टरों में रेत ब्लॉकों की नीलामी करने की योजना बनाई है, जनिमें पोन्नानी, चावककड, अलपुझा, कोल्लम उत्तर और कोल्लम दक्षिण शामिल हैं।
- **राजसव सृजन:** अपतटीय रेत खनन से शपिगि, व्यापार और वस्तु और सेवा कर (GST) संग्रह के माध्यम से महत्त्वपूर्ण आय प्राप्त होने की उम्मीद है।

रेत खनन

- खान एवं खनजि (विकास एवं वनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR अधिनियम) के तहत रेत को "लघु खनजि" के रूप में वर्गीकृत कया गया है, तथा राज्य सरकारें इसके प्रशासन की देखरेख करती हैं।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परविरतन मंत्रालय (MOEFCC) ने वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल रेत खनन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लयि "सतत रेत खनन प्रबंधन दिशा-नरिदेश 2016" जारी कयि हैं।

अपतटीय खनन क्या है?

- **परिचय:** अपतटीय खनन में [समुद्र तल](#) से खनजि या बहुमूल्य हलि का नषिकर्षण किया जाना शामिल है।
- भारत में अपतटीय खनन की संभावना: भारत का EEZ दो मिलियन वर्ग किलोमीटर में वसित है और GSI ने अपतटीय क्षेत्रों में वभिन्न खनजिओं के संसाधनों का सुस्पष्ट वर्णन किया है।
 - चूना मट्टि: 153,996 मिलियन टन (गुजरात और महाराष्ट्र के तटों से दूर)
 - नरिमाण-गरेड रेत: 745 मिलियन टन (केरल तट से दूर)
 - भारी खनजि प्लेसर: 79 मिलियन टन (ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तटों से दूर)
 - बहुधातवकि पडि: अंडमान सागर और लक्षद्वीप सागर।
- अपतटीय महत्त्वपूर्ण खनजि की नीलामी: भारत ने OAMDR अधिनियम, 2002 के तहत वर्ष 2024 में अपनी पहली [अपतटीय महत्त्वपूर्ण खनजि नीलामी](#) शुरू की, जिसमें अरब सागर और अंडमान सागर में 13 ब्लॉकों की पेशकश की गई।
 - इसके अंतर्गत लथियम, कोबाल्ट, निकल और ताँबा जैसे महत्त्वपूर्ण खनजि की नीलामी की जाती है, जो बुनियादी ढाँचे, [नवीकरणीय ऊर्जा](#) और उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिये आवश्यक हैं।
 - इस पहल के साथ, भारत का लक्ष्य आयात पर निर्भरता कम करना, संसाधन उपलब्धता बढ़ाना और वैश्विक खनजि बाजार में अपनी स्थिति का सुदृढीकरण करना है।

अपतटीय खनन के वनियमन से संबंधित कानून और नयिम कौन-से हैं?

- **OAMDR संशोधन अधिनियम 2023:** इस अधिनियम की सहायता से अपतटीय क्षेत्र खनजि (विकास और वनियमन) अधिनियम (OAMDR अधिनियम), 2002 में संशोधन किया गया, जो भारत के प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय जलमग्न सीमा और EEZ में खनजि संसाधनों के अन्वेषण और नषिकर्षण को वनियमित करता है।
 - OAMDR संशोधन अधिनियम 2023 से अपतटीय परचालन अधिकारों के लिये एक पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया शुरू करने, खनन प्रभावित लोगों के लिये एक ट्रस्ट की स्थापना किये जाने और अन्वेषण को बढ़ावा दिये जाने का प्रावधान किया गया।
 - उत्पादन पट्टों के नवीनीकरण के प्रावधान को हटा दिया गया है तथा उत्पादन पट्टे की अवधि 50 वर्ष निर्धारित की गई है।
 - OAMDR अधिनियम के संशोधित प्रावधानों को लागू करने के लिये, खान मंत्रालय ने [अपतटीय क्षेत्र \(खनजि संसाधनों की वदियमान्यता\) नयिम, 2024](#) और अपतटीय क्षेत्र संचालन अधिकार नयिम, 2024 तैयार किये हैं।
- अपतटीय क्षेत्र (खनजि संसाधनों की वदियमान्यता) नयिम, 2024: ये नयिम [खनजि तेलों, हाइड्रोकार्बन](#) के अतिरिक्त अपतटीय क्षेत्रों में सभी खनजिओं पर क्रियान्वित हैं।
 - ये [परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962](#) या [खान एवं खनजि \(विकास एवं वनियमन\) अधिनियम, 1957](#) की प्रथम अनुसूची के भाग B में निर्दिष्ट खनजिओं से संबंधित प्रावधानों को प्रभावित नहीं करते हैं।
 - अन्वेषण के चरण: नयिम अन्वेषण के लिये चार चरण परिभाषित करते हैं।
 - सर्वेक्षण सर्वेक्षण (G4): खनजि भंडारों की पहचान के लिये प्रारंभिक चरण।
 - प्रारंभिक अन्वेषण (G3): G4 नषिकर्षणों के आधार पर अधिक वसित अन्वेषण।
 - सामान्य अन्वेषण (G2): आगे का वसित अन्वेषण जिससे उत्पादन हो सकता है।
 - वसित अन्वेषण (G1): संसाधनों की सटीक प्रकृति की पुष्टि करने वाला अंतिम चरण।
 - उत्पादन पट्टों के लिये ब्लॉकों की नीलामी के लिये न्यूनतम G2 स्तर का अन्वेषण आवश्यक है।
- अपतटीय क्षेत्र संचालन अधिकार नयिम, 2024: यदि संचालन अलाभकारी हो जाए तो पट्टेदार 10 वर्ष के बाद अपना पट्टा त्याग सकते हैं।
 - पट्टेदारकों को 60 दिनों के भीतर की गई नई खनजि खोजों की सूचना देना अनिवार्य है तथा तदनुसार अपने पट्टा वलियों को अद्यतन करना होगा।
 - संचालन अधिकार सुरक्षित करने के लिये सरकारी नकियों को आरक्षित अपतटीय क्षेत्रों की प्राथमिकता से पहुँच प्राप्त है।

अपतटीय खनन के संबंध में चिंताएँ क्या हैं?

- **प्रदूषण जोखिम:** अपतटीय खनन से तलछट का ढेर बनता है और भारी धातु युक्त वषिकृत अपशषिट जल निकलता है, जिससे समुद्री जीवन और समुद्री संसाधनों पर नरिभर पारस्थितिकी तंत्र के लिये दीर्घकालिक खतरा पैदा होता है।
 - केरल में पर्यावरणवर्दि ने चेतावनी दी है कि अपतटीय रेत खनन से पारस्थितिकी तंत्र अस्थिर हो सकता है [सुनामी, चक्रवात, अपरदन के वरिद्ध प्राकृतिक सुरक्षा कमज़ोर हो सकती है](#), तथा तलछट गतिशीलता बाधित हो सकती है, जिससे जलीय पर्यावासों को खतरा हो सकता है।
- **राजस्व संग्रह:** केरल जैसे राज्यों का तर्क है कि OAMDR संशोधन अधिनियम, 2023 राज्य के हितों की रक्षा नहीं करता है।
 - खनन से प्राप्त [रॉयल्टी राजस्व](#) पूरी तरह से केंद्र सरकार को सौंप दिया जाता है, तथा राज्य प्राधिकारियों को उपेक्षित कर दिया जाता है।
 - वर्ष 2023 के संशोधनों द्वारा नजि क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दिये जाने से अनयित्रित शोषण और पारदर्शिता की कमी के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं।
- **स्थानीय समुदाय का वरिोध:** मछुआरे और समुद्र पर नरिभर अन्य समुदाय आजीविका और पारस्थितिकी तंत्र के लिये खतरे का हवाला देते हुए खनन के लिये नविदि का वरिोध कर रहे हैं।
- **वैश्विक संसाधन प्रतस्पर्द्धा:** नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगों द्वारा संचालित कोबाल्ट, निकल जैसी धातुओं की बढ़ती मांग, प्रतस्पर्द्धा को तेज़ करती है, जिससे [संसाधनों का दोहन](#) होता है।
- **जलवायु परिवर्तन:** समुद्रतल के पारस्थितिकी तंत्र में असंतुलन से संग्रहित कार्बन मुक्त हो सकता है, जिससे वायुमंडलीय CO2 का स्तर बढ़ने से [जलवायु परिवर्तन](#) में तेज़ी आएगी, जिससे [ग्लोबल वार्मिंग](#) में वृद्धि होगी।
- **सीमति ज्ञान:** भारत में अपतटीय खनन गहरे समुद्र के पारस्थितिकी तंत्र की सीमति समझ के कारण चिंता का वषिय है।

- यह सबसे कम अन्वेषति तथा अपर्याप्त रूप से समझे जाने वाले क्षेत्रों में से एक है, जिससे खनन गतविधियों के संपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव का पूरवानुमान लगाना चुनौतीपूर्ण हो गया है।
- यह अनश्चितता समुद्री जैवविधिता और पारस्थितिकी तंत्र को अपरत्याशति क्षत पहुँचा सकती है, वशिषकर तब जब भारत इन संसाधनों की खोज शुरू कर रहा है।

आगे की राह

- **पर्यावरणीय आकलन:** परयोजनाएँ शुरू करने से पहले पारस्थितिकी, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिये **स्वतंत्र पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA)** को अनिवार्य बनाना।
 - नॉर्वे जैसे देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना, जहाँ समुद्री संसाधनों के नषिकरण से पहले **कठोर पर्यावरणीय योजना** बनाई जाती है।
- **सतत् खनन प्रथाएँ:** नषिकरण की मात्रा को सीमति करना, **महत्त्वपूर्ण पारस्थितिकी प्रणालियों के पास खनन नषिध क्षेत्र नरिधारति करना**, तथा खनन को **सतत् विकास लक्ष्यों (SDG)** के साथ संरेखति करना, वशिष रूप से **जलवायु कार्यवाही (SDG 13)** और **जल के नीचे जीवन (SDG 14)**।
- **न्यायसंगत राजस्व साझाकरण :** राज्य सरकारों और स्थानीय समुदायों को राजस्व का उचित हसिसा आवंटति करने के लिये रॉयल्टी ढाँचे को संशोधति करना। प्रभावति क्षेत्रों के लिये **सामुदायिक विकास नर्धि** की स्थापना करना।

?????? ???? ?????:

प्रश्न: अपतटीय खनन के पर्यावरणीय प्रभावों की जाँच कीजिये और आर्थिक विकास सुनश्चित करते हुए जोखमि को कम करने के उपाय प्रस्तावति कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. गॉडवानालैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में बहुत कम प्रतशित का योगदान देते हैं। वविचना कीजिये। (2021)

प्रश्न. तटीय बालू खनन, चाहे वह वैध हो या अवैध हो, हमारे पर्यावरण के सामने सबसे बड़े खतरों में से एक है। भारतीय तटों पर बालू खनन के प्रभाव का, वशिषिट उदाहरणों का हवाला देते हुए, वश्लेषण कीजिये। (2019)